न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **182/19 (वाद)**

GCMS No. : 2019/00391

1. प्रेमलाल पिता स्व. शंकरलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. लालु मुतबन्ना मोती जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
2. खेमा पिता हमेरा जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा–भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) मृतक प्रतिवादी सख्या–2 के वारीस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सख्या–3 व वादी है जो पहले से रिकार्ड पर है।
3. लच्छीराम उर्फ नरेश कुमार पिता स्व० शंकरलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा भानसोल तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
4. मांगीबाई पुत्री स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०) मृतक

4/1 श्री राजकुमारी पिता मांगीलाल जी जाट उम्र 23 वर्ष, निवासी–खेडा, भानसोल हाल मुकाम मोरडी तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

4/2 श्री पुष्करलाल पिता पिता मांगीलाल जी जाट उम्र–नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मांगीलाल जी जाट निवासी–जैवाणा तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

5. केसरबाई पुत्री स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
6. गंगाबाई पत्नी स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
7. हीरालाल पिता कन्ना जी, जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
8. गोपा पिता रामा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
9. मांगु पिता रामा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. भेरा पिता खेमा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. माधु पिता खेमा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

12. कजोड़ पिता गुला जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. शंकर पिता गुला जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. सरोज पत्नी नरेश जी बुला उम्र–वयस्क, निवासी–गणेशम अपार्टमेन्ट, मोती मंगरी स्कीम, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
15. ललीता पुत्री सुखलाल जी जैन उम्र–वयस्क, निवासी–आर.सी.मार्ग. वासीनाका, चेम्बर, मुम्बई–74 महाराष्ट्र ड्रोप
16. पुष्पक पिता सुरेन्द्र जैन उम्र–वयस्क, निवासी–डी–515 पेराडाइस बिल्डिंग, रोहिला, विहार, कांदीवली, रोहिला विहार, कांदिवली इस्ट, मुम्बई महाराष्ट्र ड्रोप
17. राजकुमार पिता श्यामसुन्दर साहनी उम्र–वयस्क, निवासी–40 न्यु शक्ति नगर, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
18. प्रकाश पिता असनाराम इसरानी उम्र–वयस्क, निवासी–430 मैन रोड, भुपालपुरा, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
19. पंकज पिता लक्ष्मीलाल जी जाति जैन उम्र वयस्क, निवासी बी.–48 अचरन बाग, पी.एल. शांता कुज वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र ड्रोप
20. केतन पिता सुरेशचन्द्र जैन उम्र–वयस्क, निवासी बी 48, अचरन बाग, पी–एल– रोड़ शांताकुंज, वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र ड्रोप
21. हिम्मतसिंह पिता चंदनसिंह जी सिसोदिया राजपुत उम्र–वयस्क, निवासी–सहेली मार्ग, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
22. संजय कोठारी पिता भगवतीलाल जी कोठारी उम्र–वयस्क, निवासी सहेली मार्ग, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
23. मदन कुंवर पत्नी नारायणसिंह जी राठोड़ उम्र–वयस्क, निवासी–सुखाडिया नगर, नाथद्वारा जिला–राजसमंद (राज०) ड्रोप
24. पटवारी पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, घासा जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पवन सैन, अधिवक्ता वादी।
2. श्री राकेश प्रजापत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 से 6

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 03.04.2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव भानसोल पटवार सर्कल भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या सात के नाम पर 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर 1/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर 7/15 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या सात के नाम पर 4/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर 7/15 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर 4/15 हिस्सा अंकित है। आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर 2/3 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम पर 2/6 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है। आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे संयुक्त रूप से अंकित हो मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम पर 1/8 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है।

2. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात पैतृक भूमि है और पूर्व में मुझ वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या एक व दो के पि[illegible]जी जाट के नाम पर हिस्सानुसार अंकित थी और मुझ वा[illegible] दादाजी ह[illegible]जी जाट की मृत्यु होने पर विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

से मेरे स्व० पिता शंकरजी एवं काका खेमा व लालू जाट के नाम पर हमेराजी के हिस्से की भूमि इनके नाम पर अंकित हुई और मुझ वादी के पिता शंकरलालजी जाट की मृत्यु होने पर उनके नाम पर अंकित हिस्सा भूमि मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर हिस्सानुसार अंकित हुई। प्रतिवादी संख्या एक लालू मुतबन्ना मोती जाट जो कि मुझ वादी का सगे काकाजी थे परन्तु लालूजी जाट को श्रीमती कंकु पत्नी स्व० मोतीजी जाट निवासी खेड़ा भानसोल ने जरिए रजिस्टर्ड गोदनामा दिंनाक 06–09–2000 को गौद ले लिया और श्रीमती कंकु पत्नी स्व० मोती जाट की मृत्यु दिंनाक 17–11–2002 को हो जाने पर प्रतिवादी संख्या एक लालूजी ने उक्त पैतृक भूमि मे से श्रीमती कंकु के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि को भी अपने नाम पर विरासत से अंकन करवा ली जो उक्त वर्णित भूमि की राजस्व जमाबंदी में लालू मुतबन्ना मोती जाट के नाम पर अंकित है इसलिए लालू पिता हमेरा जाट का अपने प्राकृतिक पिता के नाम पर अंकित भूमि में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही बनता है और लालूजी जाट का अपने गोदीना माता श्रीमती कंकु जाट की संम्पति मे ही हक हिस्सा व अधिकार बनता है और लालूजी जाट का अपने प्राकृतिक पिता की संम्पति में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा व अधिकार नही बनता है इसलिए मे वादी उक्त वर्णित भूमि जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी लालू पिता हमेराजी जाट के नाम हिस्सानुसार अंकित है, इनके नाम पर जो भूमि इनके प्राकृतिक पिता की मृत्यु पश्चात विरासत से राजस्व रिकार्ड मे अंकित हुई है उसे राजस्व रिकार्ड से हटाकर इनके नाम पर अकित हिस्सा भूमि को मे वादी अपने व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के एवं प्रतिवादी संख्या दो खेमा पिता हमेरा के नाम पर हिस्सानुसार घोषित करवाने का अधिकारी हूं। उक्त वर्णित भूमि पैतृक संम्पति है और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या एक से छः के नाम पर हिस्सानुसार संयुक्त रूप से अंकित है परन्तु उक्त भूमि वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर इनके प्राकृतिक पिता हमेराजी के हिस्से की भूमि भी हिस्सानुसार अंकित है जो गलत रूप से अंकित है इसलिए उक्त संम्पूर्ण भूमि मे से

3. प्रतिवादी संख्या एक के नाम पर ला[illegible] हमेरा जाट के नाम से जो हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में [illegible] है उसक[illegible]म करते हुए उक्त इनके नाम पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

गलत रूप से दर्ज हिस्सा भूमि को मे वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः व प्रतिवादी संख्या दो खेमा जाट के नाम पर हिस्सानुसार अर्थात 1/2 1/2 हिस्सानुसार अपने अपने नाम पर घोषित करवाने के न्याय हित मे अधिकारी हूं।

4. यह कि उक्त वर्णित भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे प्रतिवादी संख्या एक लालू जाट के नाम पर लालू पिता हमेरा एवं लालू मुतबन्ना मोती जाट दोनो रूप में अंकित है जो गलत रूप से अंकित है क्योंकि प्रतिवादी संख्या एक लालू जाट के श्रीमती कंकु जाट के गौद चले जाने से और श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट के स्वर्गवास के बाद मे मोती जाट के हिस्से की भूमि भी इनके नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकित हो चुकी है इसलिए इनका अपने प्राकृतिक पिता हमेरा जाट के हिस्से की जो भूमि विरासत से इनके नाम पर दर्ज हुई उसमे इनका कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे इनके नाम पर लालू पिता हमेरा जाट के नाम से हिस्सानुसार अंकित है इसलिए इनकी नियत मे फितूर उत्पन्न हो गया है और ये अपने नाम पर लालू पिता हमेरा नाम से गलत रूप से अंकित हिस्सा भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने पर आमादा है इसलिए न्याय हित मे प्रतिवादी संख्या एक को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के द्वारा पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया है प्रतिवादी संख्या एक उक्त वर्णित भूमि में से इनके नाम पर गलत रूप से लालू पिता हमेरा जाट के नाम से अंकित हिस्सा भूमि को ताफैसला वाद किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे और प्रतिवादी संख्या चौबीस पटवारी पटवार हल्का भानसोल उक्त भूमि विक्रय बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत हो तो राजस्व रिकार्ड मे कोई फेर बदल नही करे और राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे इसमे किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे ।

5. यह कि वादी का प्राइमाफेसी कैस है क्योकि उक्त वर्णित भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर उक्त भूमि मे मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम पर हिस्सानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है. सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष मे है क्योकि उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः व प्रतिवादी संख्या दो लालूजी के गौद चले जाने पर इनके नाम पर अंकित हिस्सा भूमि पर 1/2 1/2 हिस्सानुसार काबिज है और यदि प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि मे से लालू पिता हमेरा के नाम पर राजस्व रिकार्ड में अंकन होने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Runadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

का नाजायज लाभ उठाकर किसी अन्य को विक्रय कर देगे तो इससे जो क्षति मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः को होगी उसका मूल्याकंन रूपयो पैसो मे किया जाना असंभव है जबकि स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने पर प्रतिवादी संख्या एक को किसी प्रकार की कोई क्षति नही होगी।

6. यह कि वादी को प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध वादपत्र कारण दिंनाक 10–12–19 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या एक को उक्त कलम संख्या एक मे वर्णित भूमि मे से इनके नाम पर लालू पिता हमेरा के नाम से जो भूमि अंकित है उसे हमारे नाम पर कराने को कहा तो मना कर दिया और उक्त लालू पिता हमेरा के नाम की भूमि को किसी अन्य को विक्रय करने की धमकी दी उत्पन्न हुआ व उत्पन्न होकर निरतंर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया कि वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित पैतृक भूमि मे से लालू पिता हमेरा जाट के नाम पर अंकित भूमि को मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या तीन से छः के नाम 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या दो खेमा पिता हमेरा के नाम पर 1/2 हिस्सानुसार घोषित फरमाई जाकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर अंकन करवाने का न्यायहित मे अधिकारी हूं। प्रतिवादी संख्या एक को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या एक लालू पिता हमेरा जाट के नाम पर अंकित भूमि जो इनके नाम पर गलत रूप से अंकित है उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय रहन बक्षीस या किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नही करे और राजस्व रिकार्ड जमाबंदी की यथावत स्थिति बनाये रखे ।

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के अधिवक्ता एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 04.01.2024 को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 7 से 23 औपचारिक पक्षकार होने से अधिवक्ता वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिनांक 05.03.2020 को इनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी संख्या 24, 25 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रतिवादी संख्या 4/1, 4/2, 5, 6 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब एवं काउण्टर वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 लालु पिता हमेरा के नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि हमारी पैतृक सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नही है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 लालू जो प्रतिवादी संख्या 2 का सगा भाई, हम प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के सगे काका थे जिन्हे श्रीमती कंकु पत्नी स्व० मोती जाट निवासी खेड़ा भानसोल ने रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.09.2000 के जरिए अपने गोद ले लिया और गोद लेने के बाद श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट का देहान्त दिनांक 17.11.2002 को हो जाने पर श्रीमती कंकु के नाम पर अंकित हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लालु ने अपने नाम पर विरासत से अंकित करवा ली जो वर्तमान में वाद वर्णित भूमि में लालू मुतबन्ना मोती जाट के नाम से है। इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 लालू का अपने प्राकृतिक पिता हमेराजी के नाम पर अंकित भूमि में कोई हक अधिकार नहीं बनता है, न ही हमेराजी के हक हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा उपभोग हैं बल्कि उक्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का हिस्सेनुसार कब्जा भुगत भोग चला आया हैं। प्रतिवादी संख्या 2 खेमा की पत्नी का वर्षों पूर्व ही देहान्त हो गया था जिसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 उनके बड़े भाई अर्थात हमारे पिता के साथ संयुक्त परिवार के रूप में रहने लग गये और वादी व मुझ प्रतिवादी संख्या 3 को प्रतिवादी खेमा अपनों पुत्रों की तरह ही रखने लग गये और वादी व मैं प्रतिवादी संख्या 3 भी प्रतिवादी खेमा की पुत्रों की भाँति सेवा चाकरी, भरण पोषण करने लग गये। प्रतिवादी खेमा ने हमारी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर उनके जीवनकाल में ही अपने हक हिस्से की तमाम चल अचल जायदाद का वादी व मुझ प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 05.11.2019 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करा दिया। रजिस्टर्ड वसीयतनामा निष्पादित करने के बाद प्रतिवादी खेमा की दिनांक 13/4/22 को मृत्यु हो गई जिसके बाद से ही वादी व मैं प्रतिवादी संख्या 3 प्रतिवादी खेमा की कुलिया चल अचल सम्पत्तियों एवं वाद वर्णित हक हिस्से पर वसीयतनामा के आधार पर मालिक की हैसियत काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और आज भी अधिकार सहित काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। इसलिये वाद वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 खेमा के नाम अंकित कुलिया हक हिस्से को एवं लालू पिता हमेर[illegible] अंकित भूमि में निहित प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हिस्[illegible] मैं प्रतिवाद[illegible]ख्या 3 एवं वादी समान हिस्सेनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purohit
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

हमारे नाम पर खातेदारी का घोषित कराने एवं लालू पिता हमेरा के नाम अंकित भूमि में शेष 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के नाम हिस्सेनुसार खातेदारी हक का घोषित करवाकर हमारे नाम पर अंकित करवाने का अधिकारी हूँ और रेवेन्यु रेकर्ड में खेमा पिता हमेरा एवं लालु पिता हमेरा का नाम हटवाने का अधिकारी हूँ। इसलिये माननीय न्यायालय आपमें उक्त काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जा रहा है।

9. यह कि मुझ प्रतिवादी का प्राइमाफैसी कैस है और सुविधा संतुलन भी मेरे पक्ष में है। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि हमारी पैतृक कृषि भूमि है किन्तु हमारी उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लालु पिता हमेरा के नाम अंकित है जबकि लालु श्रीमती कंकु जाट के गोद चला गया है और गोद जाने के बाद श्रीमती कंकु जाट के नाम की भूमि भी लालु के नाम पर विरासत से दर्ज हो गई है जो वर्तमान में लालु गुतबन्ना मोती जाट के नाम रेकर्ड में अंकित है। लालु के कंकु के गोद चले जाने से उसका प्राकृतिक पिता की सम्पत्ति में कोई हक अधिकार नही है फिर भी लालु का नाम हमेरा की जायदाद में अंकित होने से लालु उक्त भूमि को अनाधिकार रूप से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की फिराक में है और इस हेतु निरन्तर धमकीयां भी दी जा रही है जबकि लालु पिता हमेरा के नाम अंकित भूमि पर वर्षों से हमारा कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है और आज भी हम ही काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा प्रतिवादी खेमा की मृत्यु पश्चात् उनके हक हिस्से पर वसीयत के आधार से वादी व मुझ प्रतिवादी संख्या 3 का कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिससे प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सरोकार नही हैं। इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर इसको पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी व हम प्रतिवादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, लालु पिता हमेरा के नाम की भूमि रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी संख्या 1 को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही ह[illegible]झ प्रतिवादी को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन [illegible] पैसो मे[illegible]या जाना असंभव होगा। सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में है। मुझ प्रतिवादी को प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध काउन्टर क्लेम कारण प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादगत कृषि भूमि को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

10. अंत में निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर मेरे पक्ष में इस आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2 खेमा के नाम अंकित कुलिया हक हिस्से का एवं लालू पिता हमेरा के नाम अंकित भूमि में निहित प्रतिवादी संख्या 2 के 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी संख्या 3 एवं वादी को समान हिस्सेनुसार एवं लालू पिता हमेरा के नाम अंकित भूमि में शेष 1/2 हिस्सा का वादी व प्रतिवादी संख्या 3 से 6 को हिस्सेनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराया जावें तथा खेमा पिता हेमरा एवं लालु पिता हमेरा का नाम रेकर्ड से हटाया जावें। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 हम प्रतिवादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, लालु पिता हमेरा नाम की भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

11. प्रतिवादी संख्या 7 से 23 औपचारिक पक्षकार होने से वादी द्वारा इनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने बाबत निवेदन करने से कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रतिवादी संख्या 24 से 25 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायम की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। वादीगण के वाद के समर्थन में साक्ष्य वादी गवाह पीडब्ल्यू 1 प्रेमलाल पिता शंकरलाल जाट निवासी भानसोल जिला उदयपुर के शपथपत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 25 प्रदर्श 1, मौजा भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के खाता संख्या 304, 305, 146, 257, 54 क्रमशः प्रदर्श 2 से 6, गोद पत्र स्टाम्प प्रदर्श 7 तथा इसकी फोटोप्रति प्रदर्श 7ए, खेमा जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श 8 तथा इसकी फोटोप्रति 8ए है। वसीयतनामा प्रदर्श 9

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Rumadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

तथा इसकी फोटोप्रति प्रदर्श 9ए है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नही करना चाहा। गवाह पी.डब्ल्यू 2 लच्छीराम उर्फ नरेश पिता शंकरलाल, गवाह पी. डब्ल्यू 3 बोथलाल पिता कवला जाट, गवाह पी.डब्ल्यू 4 रामलाल पिता कज्जु के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी प्रस्तुत नही करना चाहा। साक्ष्यप्रतिवादी का अवसर बंद किया गया।

12. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वादी के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में काउण्टर वाद के तथ्यो के तथ्यो को दौहराते हुए काउण्टर वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

13. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2069—72 के खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि कंकु बेवा मोती 1/2, प्रेमलाल, लच्छीराम, मांगी, केसर पिता शंकर गंगाबाई पत्नी स्व. शंकर 1/6 हि.ब. खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 हि.ब. जाट सा. खेड़ा भानसोल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। नोट में नामान्तरकरण संख्या 1432 दिनांक 23.02.2015 गोदनामा से आराजी नम्बर 1252, 1253 कुल किता 2 रकबा 1 बीघा 8 कंकु बेवा मोती 1/2 जाट के बजाय लालु मु. मोती 1/2 जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

इसी प्रकार ग्राम खेड़ाभानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2071—74 के खाता संख्या 304 पर दर्ज आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि हीरालाल पिता कना 1/2, प्रेमलाल, लच्छीराम पिता शंकर , मांगी, केसर पिता शंकर, गंगा बेवा शंकर 1/6, खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है।

इसी प्रकार खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि हीरालाल पिता कना 4/15, कंकु बेवा मोती 4/15, प्रेमलाल, लच्छीराम पिता शंकर, मांगी, केसर पिता शंकर, गंगा बेवा शंकर, खेमा, लालू पिता हमेरा 7/15 हि.ब. [illegible] देह खातेदार दर्ज है। नोट में नामान्तरकरण संख्या 699 दिनांक 23.0[illegible]2015 गोदनामा से कंकु बेवा मोती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Pungadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

4/15 के बजाय लालू मुतबना मोती 4/15 जाट के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई।

इसी प्रकार खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि प्रेमलाल, लच्छीराम पिता शंकर, मांगी, केसर पिता शंकर, गंगा बेवा शंकर 1/3, लालु, खेमा पिता हमेरा 2/3 जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

इसी प्रकार खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि लालू मुतबन्ना मोती 1/2, प्रेमलाल, लच्छीराम, मांगी, केसर पिता शंकर, गंगाबाई स्व. पत्नी शंकर 1/6, लालू, खेमा पिता हमेरा 2/6 जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

इसी प्रकार खाता संख्या 64 पर दर्ज आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा लालू मु. मोती, प्रेमलाल, लच्छीराम पिता शंकर, मांगी, केसर पिता शंकर, गंगा बेवा शंकर हि.ब., खेमा, लालू पिता हमेरा 1/8 जाट सा. देह एवं अन्य खातेदारान के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

उक्त वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मौरूस हमेरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। हमेरा की मृत्यु के पश्चात विरासत से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श 7 ए रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 06.09.2000 से श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को गोद लिया गया। उक्त रजिस्टर्ड गोदनामे में प्रतिवादी संख्या 1 को 10 वर्ष की उम्र में ही गोद लिये जाने का वर्णन किया हुआ है। रजिस्टर्ड गोदनामे के समय प्रतिवादी संख्या 1 लालू की उम्र 45 वर्ष थी। इस प्रकार प्रदर्श 7ए से प्रतिवादी संख्या 1 लालू , श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट के गोद जाना सिद्ध होता है। चुंकि प्रतिवादी संख्या 1 लालू, श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट के गोद चले जाने तथा उसकी सम्पति में हक अधिकार निहित हो जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार लालू का अपने प्राकृतिक पिता हमेरा सम्पत्ति मे कोई हक हिस्सा निहित नही है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने प्राकृतिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pimadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

पिता हमेरा की कृषि भूमि में भी नाम दर्ज करा लिया गया एवं गोदपुत्र के आधार पर श्रीमती कंकु पत्नी मोती जाट की भूमि में भी हिस्सा दर्ज करा लिया गया। जो कि न्यायोचित नही है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों अनुसार गोदपुत्र को दत्तक माता पिता की संपत्ति में ही हक अधिकार प्राप्त होते है। इस प्रकरण में भी प्रतिवादी संख्या 1 गोदपुत्र लालू को श्रीमती कंकु देवी की सम्पत्ति में ही हक अधिकार प्राप्त होंगे। प्रतिवादी संख्या 1 गोद चले जाने से अपने प्राकृतिक पिता हमेरा की भूमि हिस्सा लेने का अधिकार नही है।

प्रतिवादी संख्या 3 लच्छीराम उर्फ नरेश कुमार द्वारा जरिये काउण्टर वाद प्रतिवादी संख्या 2 फौत की भूमि में वसीयत के आधार पर घोषणा चाही गई है। प्रदर्श 8 ए मृत्यु प्रमाण से प्रतिवादी संख्या 2 की मृत्यु होना स्पष्ट है। प्रदर्श 9 ए रजिस्टर्ड वसीयत नामा 05.11.2019 से प्रतिवादी संख्या 2 फौत द्वारा वादग्रस्त भूमि में निहित अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के संबंध में वसीयत वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम कर दी गई। वसीयतनामा में मृतक प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं द्वारा स्वीकार किया गया है कि मेरे कोई सन्तान नही है तथा मेरी पत्नी की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो गई है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि रजिस्टर्ड वसीयत नामा में स्वयं वसीयतकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया है कि मेरे पुत्र तथा पुत्री संतान नही है तथा मेरी पत्नी की मृत्यु 35 वर्ष पूर्व हो चुकी है। वसीयतकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 फौत द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की गई है। इस प्रकार रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में प्रतिवादी संख्या 2 के निधन से ही खातेदार हो चुके है। साथ ही न्यायालय का विनम्र का अभिमत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद पत्र एवं जरिये काउण्टर वाद स्थाई निषेधाज्ञा भी चाही गई है परन्तु वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार के रूप में निहित है सहखातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दिया जाना न्यायोचित नही है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर वाद घोषणा के अनुतोष तक स्वीकार योग्य पाये जाते है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर वाद घोषणा तक के अनुतोष तक स्वीकार किये जाकर डिक्री किये जाते है कि ग्राम खेड़ा भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2071—74 के खाता संख्या 304 पर दर्ज आराजी नम्बर 1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि खेमा, लालू पिता हमेरा 7/15 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार दर्ज के नाम दर्ज है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि लालु, खेमा पिता हमेरा 2/3 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि लालू, खेमा पिता हमेरा 2/6 जाट हि.ब. सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 64 पर दर्ज आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 250 बीघा 8 बिस्वा खेमा, लालू पिता हमेरा एवं अन्य सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 हि.ब. जाट सा. खेड़ा भानसोल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. प्रेमलाल पिता स्व. शंकरलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

...........वादी

बनाम्

1. लालु मुतबन्ना मोती जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
2. खेमा पिता हमेरा जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा–भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) मृतक प्रतिवादी सख्या–2 के वारीस रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सख्या–3 व वादी है जो पहले से रिकार्ड पर है।
3. लच्छीराम उर्फ नरेश कुमार पिता स्व० शंकरलाल जी जाति जाट उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा भानसोल तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)
4. मांगीबाई पुत्री स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०) मृतक

4/1 श्री राजकुमारी पिता मांगीलाल जी जाट उम्र 23 वर्ष, निवासी–खेडा, भानसोल हाल मुकाम मोरडी तहसील घासा जिला–उदयपुर (राज०)

4/2 श्री पुष्करलाल पिता पिता मांगीलाल जी जाट उम्र–नाबालिग जरिये संरक्षक पिता मांगीलाल जी जाट निवासी–जैवाणा तहसील मावली जिला–उदयपुर (राज०)

5. केसरबाई पुत्री स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
6. गंगाबाई पत्नी स्व० शंकरलाल जी जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
7. हीरालाल पिता कन्ना जी, जाति जाट, आयु–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
8. गोपा पिता रामा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
9. मांगु पिता रामा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. भेरा पिता खेमा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. माधु पिता खेमा जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

12. कजोड़ पिता गुला जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. शंकर पिता गुला जी जाति रावत उम्र–वयस्क, निवासी–खेडा, भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. सरोज पत्नी नरेश जी बुला उम्र–वयस्क, निवासी–गणेशम अपार्टमेन्ट, मोती मंगरी स्कीम, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
15. ललीता पुत्री सुखलाल जी जैन उम्र–वयस्क, निवासी–आर.सी.मार्ग. वासीनाकला, चेम्बर, मुम्बई–74 महाराष्ट्र ड्रोप
16. पुष्पक पिता सुरेन्द्र जैन उम्र–वयस्क, निवासी–डी–515 पेराडाइस बिल्डिंग, रोहिला, विहार, कांदीवली, रोहिला विहार, कांदिवली इस्ट, मुम्बई महाराष्ट्र ड्रोप
17. राजकुमार पिता श्यामसुन्दर साहनी उम्र–वयस्क, निवासी–40 न्यु शक्ति नगर, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०)
18. प्रकाश पिता असनाराम इसरानी उम्र–वयस्क, निवासी–430 मैन रोड, भुपालपुरा, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
19. पंकज पिता लक्ष्मीलाल जी जाति जैन उम्र वयस्क, निवासी बी.–48 अचरन बाग, पी.एल. शांता कुज वेस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र ड्रोप
20. केतन पिता सुरेशचन्द्र जैन उम्र–वयस्क, निवासी बी 48, अचरन बाग, पी–एल– रोड़ शांताकुंज, वेस्ट मुम्बई महाराष्ट्र ड्रोप
21. हिम्मतसिंह पिता चंदनसिंह जी सिसोदिया राजपुत उम्र–वयस्क, निवासी–सहेली मार्ग, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
22. संजय कोठारी पिता भगवतीलाल जी कोठारी उम्र–वयस्क, निवासी सहेली मार्ग, उदयपुर जिला–उदयपुर (राज०) ड्रोप
23. मदन कुंवर पत्नी नारायणसिंह जी राठोड़ उम्र–वयस्क, निवासी–सुखाडिया नगर, नाथद्वारा जिला–राजसमंद (राज०) ड्रोप
24. पटवारी पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा जिला–उदयपुर (राज०)
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, घासा जिला–उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 182/19 (वाद) GCMS No. – 2019/00391

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 का काउण्टर वाद घोषणा तक के अनुतोष तक स्वीकार किये जाकर डि[illegible] जाते है कि ग्राम खेड़ा भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2071–74 के ख[illegible] संख्या 304 पर दर्ज आराजी नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

1377, 1383 किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 305 पर दर्ज आराजी नम्बर 1347 रकबा 13 बीघा 7 बिस्वा भूमि खेमा, लालू पिता हमेरा 7/15 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार दर्ज के नाम दर्ज है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 146 पर दर्ज आराजी नम्बर 664, 667, 818, 819 किता 4 कुल रकबा 7 बीघा 3 बिस्वा भूमि लालु, खेमा पिता हमेरा 2/3 हि.ब. जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 257 पर दर्ज आराजी नम्बर 813, 820, 821, 824, 826 किता 5 कुल रकबा 9 बीघा 12 बिस्वा भूमि लालू, खेमा पिता हमेरा 2/6 जाट हि.ब. सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार खाता संख्या 64 पर दर्ज आराजी नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, [illegible] 32, 33, 34, 35, 37, 38, 148, 151 किता 26 कुल रकबा 260 बीघा 8 [illegible] खेमा, लालू पिता हमेरा एवं अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pundadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested

सह खातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

इसी प्रकार ग्राम भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 25 पर दर्ज आराजी नम्बर 1252, 1253 किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि खेमा, लालु पिता हमेरा 1/3 हि.ब. जाट सा. खेड़ा भानसोल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय खेमा पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 को बराबर हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है तथा लालु पिता हमेरा के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में शंकर पिता हमेरा के सभी वारिसान को हि.ब. से खातेदार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.04.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:55:40 IST
Reason: SelfAttested